भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रु Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

(1)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AA 490032

ट्रस्ट–डीड

1–ट्रस्ट (न्यास) का नाम : ज्ञान दर्शन एकेडमी
2–ट्रस्ट (न्यास) का पता : मु0 मिल्की कस्बा सिकन्दरपुर
पोस्ट–सिकन्दरपुर तहसील–सिकन्दरपुर,
जनपद–बलिया 277303 उ0 प्र0

यह न्यास विलेख आज दिनांक 13/06/2018 को बलिया में **संजीव कुमार सिंह पुत्र रामदरश सिंह निवासी मु0 मिल्की कस्बा सिकन्दरपुर ,तहसील–सिकन्दरपुर, जनपद–बलिया उ0 प्र0** द्वारा घोषित किया गया । जिन्हें आगे न्यासकर्त्ता /संस्थापक कहा जायेगा , क्योंकि संस्थापक के पास रूपये 10,000 (दस हजार रूपया मात्र) की राशि है जिसे कि वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान की इच्छा रखते हैं । न्यासकर्त्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति संहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज एवं सामाजिक उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा, क्योकि यह **ज्ञान दर्शन एकेडमी** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे कि आगे संक्षिप्त में (G.D.A.) भी कहा जायेगा ।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्त्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जायेगा । न्यासकर्त्ता /संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से धन उपहार ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने

संजीव कुमार सिंह

... का तिथि 8/6/2018 ... क्र० 2233

क्रय करने का ... धनराशि 200

क्रेता का नाम व पूरा पता ... [illegible] मुहल्ला ... कस्बा सिकन्दरपुर ... द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक संजीव कुमार सिंह पु० [illegible] सिंह

वीरेन्द्र नाथ पाण्डेय

स्टा० वि० ला० न० 268/91

... सिकन्दरपुर ...

उप रोकड़िया

12 JUN 2018

सिकन्दरपुर

जनपद-बलिया

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (2) AA 490017

अपनी इच्छा के अनुकूल 10,000 (दस हजार रूपये) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है और ट्रस्ट के पास कुल पूँजी मात्र 10,000 रूपये है । वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत एवं प्रशासनिक कार्यालय–**मु0 मिल्की कस्बा सिकन्दरपुर**,जनपद–बलिया उ0 प्र0 रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समयानुसार समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक/द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जाता है ।

ज्ञान दर्शन एकेडमी,

उद्देश्य एवं नियमावली

ट्रस्ट के उद्देश्य –ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा ।

1. बिना लिंग भेद किये केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा सबके लिए प्राथमिक पाठशाला , अनु0 कन्या प्रा0 पाठशाला जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, स्नाकोत्तर महाविद्यालय, व अन्य इन्स्टीच्यूट आफ एजूकेशन पब्लिकेशन आदि को संचालन करना मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कालेज, संस्कृत महाविद्यालय के माध्यम से प्रथमा, मध्यमा ,शास्त्री, आचार्य, बी0 एड0,बी0पी0एड0,(बिशेष शिक्षा),डी0एल0एड0(बिशेष शिक्षा),डी0एड0,बी0टी0सी0 (बिशेष शिक्षा),बी0 एल0 एड0 ,सी0बी0एस0ई0,आई0सी0एस0 ई0 वाचनालयों, प्रयोगशाला, चिकित्सालयों, वृद्धा आश्रमों, अनुसंधान केन्द्र, छात्रों के लिए कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित, सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण एड्स उत्थान केन्द्रों तथा ऐसे अन्य केन्द्रों जों जनहित में स्थापित, नामकरण, विकास सम्बद्ध आबद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता है कि उ0 प्र0 सरकार एंव भारत सरकार द्वारा प्रदान कि जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एंव समाजिक संस्थाओ की स्थापना करना तथा संचालन करना ।

संजीव कुमार सिंह

स्टाम्प क्रमांक ...
क्रय करने का प्रयोजन .... धनराशि ...
क्रेता का नाम व पूरा पता ...

वीरेन्द्र नाथ ...
स्टा० वि० ला० न० 208/93
...
सिकन्दरपुर, बलिया

उप रोकड़िया
05 JUN 2018
सिकन्दरपुर
जनपद-बलिया

कार्यालय उप निबन्धक सिकन्दरपुर बलिया (उ०प्र०)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EE 828194

(3)

तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों,प्रतिष्ठानों, संस्थानों एवं जनहित में कार्य करना आदि से उन्हे मान्य सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना ।

2. ग्राम विकास अभिकरण की गतिविधियों का संचालन करना ।

3. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना ।

4. कृषि कार्य हेतु वंजर भूमि का सुधार एवं कटान रोक कर जल संरक्षण एवं नमी संरक्षण करना ।

5. उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना एवं सूक्ष्म लघु उद्योग, ईट, भट्ठा कन्स्ट्रक्शन, कान्ट्रैक्टर आदि कार्य के साथ शेयर एवं आर्थिक उद्योगों को सम्पादित करना एवं प्रोत्साहन प्रदान करना प्रमुख कार्य की स्थापना करना ।

6. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना ।

7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना ।

8. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना ।

9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण नवार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय समाज कल्याण सलाहकार वोर्ड महिला कल्याण नेहरू युवा केन्द्र,खेलकूद, युवा कल्याण, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों का संचालन करना।

संजीव कुमार सिंह

बीरेन्द्र नाथ मोहन
स्टा० वि० ला० नं० 268/91

उप रोकड़िया
19 JUN 2018
सिकन्दरपुर
बलिया

न्यास पत्र

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 1900 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 600

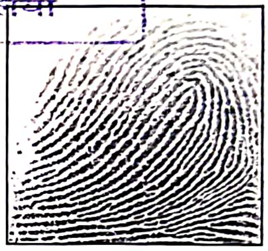

श्री ज्ञान दर्शन ए० द्वारा संजीव ,
पुत्र श्री रामदरश सिंह
व्यवसाय : कृषि
निवासी: नि० मु० मिल्की क़स्बा व पोस्ट सिकन्दरपुर जिला बलिया

संजीव कुमार सिंह

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 27/06/2018 एवं 04:46:01 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अवनीश राय
उप निबंधक :सिकंदरपुर
बलिया

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 828195

(4)

10. आई0आई0टी0, आई0 टी0 आई0, फार्मेसी , नर्स ट्रेनिंग , आपरेशन, टेक्निशियन लैब, टेक्निशियन, फिजियोथेरेपी, आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों व अन्य सेवा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना जो जनहित में हो ।

11. समाज के लोगों के लिए हास्पीटल, नसिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराने की दुकान, फोटो स्टेट, टाइपिंग, कम्पनी, फर्म आदि की व्यवस्था करना।

12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र–पत्रिकाओं समाचार पत्रों आदि का प्रकाशन मुद्रण बिकी एवं मूल्य का निर्धारण करना ।

13. अंधे, गूँगे, बहरे व असहाय लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास भोजन आदि की व्यवस्था करना ।

14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा प्रायोगिक, कला, वाणिज्य, वैज्ञानिक, कीड़ा मार्शल आर्टस, संगीत तकनीकी, सामाजिक आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना ।

15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धाओं परीक्षाओं में छात्र –छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

संजीव कुमार सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 828195

(4)

10. आई0आई0टी0, आई0 टी0 आई0, फार्मेसी , नर्स ट्रेनिंग , आपरेशन, टेक्निशियन लैब, टेक्निशियन, फिजियोथेरेपी, आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों व अन्य सेवा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना जो जनहित में हो ।

11. समाज के लोगों के लिए हास्पीटल, नसिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराने की दुकान, फोटो स्टेट, टाइपिंग, कम्पनी, फर्म आदि की व्यवस्था करना।

12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र–पत्रिकाओं समाचार पत्रों आदि का प्रकाशन मुद्रण बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना ।

13. अंधे, गूँगे, बहरे व असहाय लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास भोजन आदि की व्यवस्था करना ।

14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा प्रायोगिक, कला, वाणिज्य, वैज्ञानिक, कीड़ा मार्शल आर्टस, संगीत तकनीकी, सामाजिक आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना ।

15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धाओं परीक्षाओं में छात्र –छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

संजीव कुमार सिंह

वीरेन्द्र नाथ यादव
स्टा० वि० ला० नं० 2684

उप रोकड़िया
1 9 JUN 2018
सिकन्दरपुर
जनपद–बलिया

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री ज्ञान दर्शन ए० द्वारा संजीव, पुत्र श्री रामदरश सिंह

निवासी: नि० मु० मिल्की क़स्बा व पोस्ट सिकन्दरपुर जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि संजीव कुमार सिंह

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री हीरालाल यादव , पुत्र श्री लालबाबू यादव

निवासी: ग्राम कैथवली पोस्ट मासुमपुर जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2 हीरालाल यादव

श्री संतोष कुमार वर्मा , पुत्र श्री शुभनरायन वर्मा

निवासी: ग्राम व पोस्ट मासुमपुर जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि संतोष कुमार वर्मा

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अवनीश राय
उप निबंधक : सिकंदरपुर
बलिया

प्रिंट करें

उप रोकड़िया
1 9 JUN 2018
सिकन्दरपुर
जनपद-बलिया

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री ज्ञान दर्शन ए० द्वारा संजीव, पुत्र श्री रामदरश सिंह

निवासी: नि० मु० मिल्की क़स्बा व पोस्ट सिकन्दरपुर जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री हीरालाल यादव , पुत्र श्री लालबाबू यादव

निवासी: ग्राम कैथवली पोस्ट मासुमपुर जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री संतोष कुमार वर्मा , पुत्र श्री शुभनरायन वर्मा

निवासी: ग्राम व पोस्ट मासुमपुर जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

अवनीश राय
उप निबंधक : सिकंदरपुर
बलिया

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
रु. 100
ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
EE 828196

16. पुस्तकों, साहित्य, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण वितरण आदि करना ।
17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, सम्मेलन, प्रतियोगिता बैठकें विशेष कार्यक्रम कक्षायें सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित करना ।
18. सिलाई, कढाई, बुनाई, स्कीन प्रिन्टिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना ।
19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों प्रशिक्षण कालेजों इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजित करना ।
20. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न, अन्तर्राष्ट्रीय, संगठनों, संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग दान, अनुदान, चन्दा शुल्क या धन प्राप्त करना तथा यथाविधि रसीद निर्गत करना ।
21. विधि सम्मत उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार करना ।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उनका प्रचार प्रसार करना ।
23. कृषि उपयोगी कार्य करना व उसका प्रचार प्रसार करना ।
24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी देना एवं सेमिनार करना ।

संजीव कुमार सिंह

[illegible] 19/6/18 क्र० सं० 1036
क्रय करने का प्रयोजन .... धनराशि 100
क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

वीरेन्द्र नाथ यादव
स्टा० वि० ला० नं० 268/95
[illegible]
पता– सिकन्दरपुर [illegible]

उप रोकड़िया
1 9 JUN 2018
सिकन्दरपुर
जनपद–बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EA 069719

25- एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार प्रसार करना ।

26. पुस्तक, पुस्तिकाओं पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्र को प्रकाशित, सम्पादित वितरित एवं बिक्री करना ।

27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/बस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना ।

28. प्रत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर तत्सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थायें करना ।

29. उपभोक्ता अधिकार, उसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य करना ।

30. ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सूक्ष्म ऋण प्रदान करना ।

31. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर क्रियान्वयन करना ।

32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता स्मृति चिन्ह आदि प्रदान करना ।

33. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इंजीनियरिंग कालेजों प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त करना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान करना।

34. ट्रस्ट के कोष एवं संपदा में वृद्धि करना विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना ।

संजीव कुमार सिंह

क्रय करने का प्रयोजन

क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टा० वि० ला० नं० - 203/22

उप रोकड़िया

0 5 JUN 2018

सिकन्दरपुर
जनपद-बलिया

कार्यालय उप निबंधक, सिकन्दरपुर-बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 541213

35. ट्रस्ट जन सामान्य के लिए द्वितीय कार्य करेगा । ट्रस्ट यथासम्भव अपनी सेवायें/वस्तुएँ लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा ।

36. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए कार्य नहीं करेगा, जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा ।

37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा ।

38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पॉली क्लीनिक का निर्माण करेगा ।

39. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों, रासायनिक दवा की जानकारी देना, फल एवं औषधीय खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात एवं निर्यात करना ।

40. बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने हेतु सांस्कृतिक कार्यकमों का आयोजन एवं संचालन करके उनकी कृतियों का समाज में प्रचार प्रसार करने का प्रयास करना तथा बौद्ध बिहार आदि की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना ।

41. शेयर बाजार के बारे में लोगों को निःशुल्क जानकारी देना तथा इस निमित्त पत्र पत्रिकाओं अखबारों व अन्य दैनिक समाचार पत्रों व पत्रिकाओं का प्रकाशन व मुद्रण करने का प्रयास करना ।

42. मरणोपरान्त अंगदान के इच्छुक व्यक्ति के अंग प्राप्त कर उसे जरूरतमंदों को प्रदान करना तथा ब्लड बैंक का संचालन करना ।

संजीव कुमार सिंह

विक्रय का तारीख ....
क्रय करने का प्रयोजन .... धनराशि 50
क्रेता का नाम व पूरा पता ....
....
....

धीरेन्द्र नाथ पाठक
स्टा० वि० ला० नं० 268/99

पता – ...

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 541214

43. उपरोक्त सभी कार्यों को क्रियान्वयन करने हेतु देशी विदेशी दानदाता संस्थाओं से दान लेकर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से सारे कार्यों का सम्पादन करना तथा दान, अनुदान अथवा ऋण प्राप्त करना संस्था का मुख्य कार्य होगा ।

44. गैर सरकारी संगठन (एन0 जी0 ओ0) के राजकीय राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्त कार्यो का सम्पादन करना ।

45. अल्पसंख्यक समुदाय के विकास हेतु भारतीय संविधान की धारा 29व 30 के अन्तर्गत मुस्लिम माइनारिटी के नियमों का पालन करते हुए मदरसों, मकतबों, तहतानिया,फौकानिया,आलिया,हाफिज, कारी, मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल, मुफ्ती निश्वा मदरसों तथा उच्च स्तर तक की शिक्षा देने हेतु विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करना ।

46. बौद्ध बिहार की चल/अचल सम्पत्ति की देखभाल व सुरक्षा करना ।

47. समय समय पर बौद्ध धर्म दीक्षान्त समारोह का आयोजन तथा दीक्षा ग्रहण करने वाले बौद्धों को दीक्षा प्रमाण पत्र विभागीय अनुमति से निर्गत करने का प्रयास करना ।

48. दलित शोषित तथा निर्धन लोगों में फैली असमानता अन्धविश्वास तथा कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना ।

49. ट्रस्टहित में ट्रस्ट या किसी संस्था की सम्पत्ति यथा भूमि भवन का क्रय विक्रय (बेचना व खरीदना) दान, बन्धक, एग्रीमेन्ट, पट्टे तथा भाड़े आदि पर लेने और देने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी को होगा ।

50. ट्रस्ट (न्यास) न्यासकर्त्ता/प्रबन्धक/अध्यक्ष किसी भी राष्टीयकृत बैंक,प्राइवेट बैंक लि0.में ट्रस्ट का खाता खोलना व उसका संचालन कर सकता है

संजीव कुमार सिंह

विक्रय का तारीख ....
क्रय करने का प्रयोजन .... धनराशि
क्रेता का नाम व पूरा पता ....
....
....

धीरेन्द्र नाथ पाण्डेय
स्टा० वि० ला० न० 208/9?

पता– मिर्जापुर ...

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BG 541215

(9)

51. कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आई0 टी0 आई0 पालिटेक्निक इंजीनियरिंग कालेजों मेडिकल कालेजो आदि सी0बी0 एस0ई0,आई0सी0एस0 ई0 उ0 प्र0 सरकार एंव भारत सरकार द्वारा प्रदान कि जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एंव समाजिक संस्थाओ की स्थापना करना तथा संचालन करनास्थापना व संचालन करना ।

52 .ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति एवं विकास के लिए सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों, राष्ट्रीयकृत बैकों (बन्ध पत्र या बिना बन्ध पत्र के) सावधि ऋण या पूँजीगत ऋण प्राप्त करना ।

प्रारम्भिक उपबन्ध

1.वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से संजीव कुमार सिंह पुत्र रामदरश सिंह जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी हैं इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है । तथा उर्मिला सिंह पत्नी राजीव कुमार सिंह को उपाध्यक्ष और सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 शम्भूनाथ सिंह को सचिव सुनिश्चित किया जाता है ।

क0सं0	नाम	पिता/पति	पता	पद	व्यवसाय
1.	संजीव कुमार सिंह	रामदरश सिंह	मु0 मिल्की सिकन्दरपुर ,जि0–बलिया	अध्यक्ष/प्रबन्धक	समाज सेवा
2	उर्मिला सिंह	राजीव कुमार सिंह	मु0 मिल्की सिकन्दरपुर ,जि0–बलिया	उपाध्यक्ष	गृहणी
3	सुरेन्द्र सिंह	स्व0 शम्भूनाथ सिंह	ग्रा0 +पो0–खेजुरी, जि0–बलिया	सचिव/मंत्री	समाज सेवा
4	रिंकू सिंह	संजीव कुमार सिंह	मु0 मिल्की सिकन्दरपुर ,जि0–बलिया	कोषाध्यक्ष	गृहणी
5	सुजाता सिंह	सत्येन्द्र सिंह	ग्रा0 हृदय पट्टी पो0–सिधा अहिलाशपुर जि0– मऊ	आडिटर	गृहणी
6	संतोष कुमार वर्मा	शुभनरायण वर्मा	ग्रा0 +पो0–मासूमपुर ,जि0–बलिया	सदस्य	समाज सेवा

संजीव कुमार सिंह

विक्रय की तिथि ....
क्रय करने का प्रयोजन .... धनराशि
क्रेता का नाम व पूरा पता ....
....

धीरेन्द्र नाथ पाण्डेय
स्टा० वि० ला० नं० 208/92
पता- ...

कार्यालय उप निबन्धक

विक्रय की तिथि ....
क्रय करने का प्रयोजन .... मनराशि
क्रेता का नाम व पूरा पता ....
....
....

धीरेन्द्र नाथ पाण्डेय
स्टा० वि० ला० नं० 208/92

पता – ...

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(10)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 541216

2- यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष/प्रबन्धक संजीव कुमार सिंह पुत्र रामदरश सिंह द्वारा रजिस्टार के यहॉ रजिस्ट्री सुनिश्चित न की तो संजीव कुमार सिंह पुत्र रामदरश सिंह की मृत्यु के पश्चात इनके विधिक वारिस ट्रस्टी होगें यह क्रम वंशागत (पीढ़ी दर पीढ़ी) चलता रहेगा ।

3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियो को स्थानान्तरित कर सकते हैं ।

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक/चेयरमैन पद का उत्तरदाधिकारी /हस्तानान्तरण

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष /प्रबन्धक का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे ।
2. मैंनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक का पद किसी को प्रदान कर सकता है ।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगें जो इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक को प्रदत्त किये गये हैं
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एव व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक बनेगा।कोइ असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जासकता है
5. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक को चाहिये कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहॉ रजिस्टर्ड करा ले अथवा अपनी वसीयत भी सुनिश्चित किया जा सकता है।इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंगट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इक्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी ।

संजीव कुमार सिंह

विक्रय का तारीख [illegible]
क्रय करने का प्रयोजन .... धनराशि [illegible]
क्रेता का नाम व पूरा पता ....
--- --- --- ... . [illegible]
--- --- --- ---- ---- [illegible]

वीरेन्द्र [illegible]
स्टा० वि० ला० न० 268/[illegible]

[illegible]

कार्यालय उप निबन्धक [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | भारत | सत्यमेव जयते | INDIA | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 541217

[illegible]. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष /प्रबन्धक अपने जीवनकाल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप में हस्तानान्तारित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नही कर सकेगा।

[illegible]. कार्यरत मैनेजिंग टस्टी/अध्यक्ष /प्रबन्धक तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तानान्तरण विषय पर विचार एंव पुनः विचार हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप में कार्यभार अपने उत्ताकिारी को न प्रदान कर दिया हो ।

8 कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष /प्रबन्धक द्वारा अपने उत्ताधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तानान्तरण समस्त अधिकार सहित पूर्ण माना जायेगा।

4 **बोर्ड आफ ट्रस्टीज**

1 यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष /प्रबन्धक यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श करने एंव सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें कि अधिकतम 9 (नौ) सदस्य होगे ।

2 यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा।ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष /प्रबन्धक/ की इच्छा पर निर्भर करता है कि तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति का कार्य

काल समाप्त होने से पूर्व ही विना किसी कारण बताये ट्रस्टी पद हटा सकता है।

3 यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष /प्रबन्धक जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आवश्यक सूचना पर आयोजित कर सकता है। जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक स्वंय करेगा।

संजीव कुमार सिंह

विक्रय का ...
क्रय करने का ... ... अपराधि ...
क्रेता का नाम व पूरा पता ...

धीरेन्द्र नाथ पाण्डे
स्टा० वि० ला० नं० 268/9

कार्यालय

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 12 BG 541218

4 यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टी उन्ही विषयो पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष /प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5 यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टी द्वारा किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा स्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष /प्रबन्धक की इच्छा एंव विवेक पर निर्भर करता है इस सर्न्दभ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एंव अन्तिम होगा

(5) **अध्यक्ष/प्रबन्धक/मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यकाल एंव सुविधायें**

1 यह कि अध्यक्ष/प्रबन्धक/ट्रस्टी को ट्रस्ट विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एंव वाहन की सुविधा के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

2 यह कि अध्यक्ष/प्रबन्धक ट्रस्टी अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक/भत्ते आदि पर यादि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से आयकर का भुगतान करेगा ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नही होगा।

(6) **कार्यक्षेत्र**

1 ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एंव राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

7 **मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक का विशेषाधिकार**

1 मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक को विशेष अधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अर्न्तगत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत /अस्वीकृत कर दें या संसोधित कर दें।मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक ट्रस्ट कार्यकलापो में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एंव स्वीकार होगा।

संजीव कुमार सिंह

क्रय करने का प्रयोजन ....
क्रेता का नाम व पूरा पता ....
वीरेन्द्र नाथ ठाकुर
स्टा० वि० ला० न०
पता०

कार्यालय उप निबंधक, खड़गपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BG 541220

(13)

8. **सचिव/उपसचिव की नियुक्ति**

1 यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने एंव देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एंव आवशकता पड़ने पर एक या अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा ।

2 यह कि सचिव/उपसचिवों के वेतन भत्ते, सुविधायें कार्य नियम,मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष /प्रबन्धक द्वारा निश्चित किये जायेंगें।

3 यह कि उक्त सचिव/ट्रस्टी अध्यक्ष/प्रबन्धक किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पक्षो के अधिकार एंव कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

9 **उपाध्यक्ष की नियुक्ति**

1 मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति/आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

2 यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों कें वेतन भत्ते सुविधायें कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा निश्चित कियें जायेंगें।

संजीव कुमार सिंह

विक्रय का तिथि [illegible] क्रमांक– [illegible]

क्रय करने का प्रयोजन .... हस्ताक्षर [illegible]

क्रेता का नाम व पूरा पता .... [illegible]

वीरेन्द्र [illegible]

स्टा० वि० ला० नं० 208/91

पता– [illegible]

कार्यालय उप निबंधक [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 541219

3 यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद ,पर्यन्त ,कार्य करेगें मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक किसी भी समय बिना किसी कारण बताये उक्त पदो पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता हैं अथव पदों के कर्तव्य एंव अधिकार किसी अन्य व्यक्ति कों हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है ।

10 अध्यक्ष/प्रबन्धक के अधिकार एंव कर्तव्य

यह कि ट्रस्ट डीड के अर्न्तगत अध्यक्ष/प्रबन्धक/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एंव कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/प्रबन्धक/ट्रस्टी के निम्न अधिकार एंव कर्तव्य भी होगें।

1 बोर्ड आफ ट्रस्टी को बैठक बुलाना एंव उसकी अध्यक्षता करना।

2 ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायी ढंग से देख रेख करने के लिए उपाध्यक्ष,सचिव उपसचिवों की नियुक्ति करना।

3 इस ट्रस्ट डीड में उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्य एंव नियमावली में संशोधन/परिर्वतन करना जो कि रजिस्ट्रार के यहॉ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा ।

11 उपाध्यक्ष के अधिकार एंव कर्तव्य

अध्यक्ष/प्रबन्धक/ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा बताये गयें विषय परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नही ले सकता है।

संजीवकुमार सिंह

... का तारीख ... रु० ...
क्रय करने का प्रयोजन .... द्वारा
क्रेता का नाम व पूरा पता ....
... 2283
वीरेन्द्र नाथ ...
स्टा० वि० ला० न० 2008
... विक्रेता ...

कार्यालय ...

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(15)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29AA 648313

12 सचिव के अधिकार एंव कर्तव्य

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एंव उत्तरदायी हैं ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य व अधिकार हैं–

1 ट्रस्ट कें उद्देश्यों कि पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एंव कर्यावाही करना ।

2 ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एंवम दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना ।

3 ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों कि नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरूद्व अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही करना ।

4 विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु प्रकोष्ठों/विभागों/केंन्द्रो/संस्थाओं का गठन ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक की अनुमति से कर सकना तथा उनके संयोजक/निदेशकों पदाधिकारियों आदि के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बनाना ।

5 ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जॉच में निर्णायक नियुक्त करना ।

6 एक से अधिक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनकें कार्य विभाजन करना ।

7 प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

8 जन सामान्य के कल्याणार्थ आयोजन करना ।

13 उपसचिव के अधिकार एंव कर्तव्य

1 सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एंव कर्तव्य का पालन करना ।

संजीव कुमार सिंह

विक्रय का दिनांक .... क्रम सं० ....

क्रय करने का प्रयोजन .... द्वारा

क्रेता का नाम व पूरा पता ....

....

....

वीरेन्द्र नाथ ....

स्टा० वि० ला० न० 2048

....

....

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 भारत सत्यमेव जयते INDIA Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 648314

2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्रधिकृत रिने पर उन अधिकारों/कर्तव्यो का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है ।

3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार /कर्तव्यों का पालन करना ।

4. **बैक एकाउन्ट**

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैक मे खोला जा सकेगा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक/ स्वय अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशो के अर्न्तगत खाता खोल सकता है । अथवा संचालित कर सकता है ।

2. ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित ईकाई कार्यरत किसी पाठशाला/विद्यालय/महाविद्यालय /संस्थान/अन्य संस्था/केन्द्र/कार्यक्रम ईकाई कार्यलय का पृथक नाम से बैक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिती मे स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष /प्रबन्धक या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशो के अर्न्तगत बैक खाता खोला जा सकता ह अथवा संचालित किया जा सकता है । और सारा आय व्यय का लेखा परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षक से कराया जायेगा ।

5. **विधिक कार्यवाही**

यदि संस्थान/ट्रस्ट के तरफ से कोई विधिक कार्यवाही कि जाती है उसके विरूध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो अध्यक्ष/प्रबन्धक/मुख्य ट्रस्टी कि अनुमति से अधिवक्ता कि नियुक्ति ।

संजीव कुमार सिंह

विक्रय क्रमांक ...
क्रय करने का प्रयोजन .... धनराशि
क्रेता का नाम व पूरा पता ....

वीरेन्द्र नाथ यादव
स्टा० वि० ला० नं० 268/93
तह०- शिकोहाबाद

कार्यालय उप निबन्धक शिकोहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29AA 648315

एवं विभन्न न्यायालयों मे पैरवी या स्वयं अन्य को अधिकृत कर सकता है ।

6. **सम्पत्ति**

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध मे वह सभी अधिकृत अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होता है ।
2. ट्रस्ट कि ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध मे ट्रस्ट कि ओर से कोई निर्यण लेन/देन विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी को अधिकृत कर सकता है ।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट कि ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध मे कोई लेख विलेख बनाने या निर्यण करने हेतु पूर्णतयाः समर्थ एवं अधिकृत है ।
4. ट्रस्ट चल/अचल/सम्पत्ति कय या विकय कर सकता है रेहन रख सकता है किराये पर दे सकता है ले सकता है ।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण दान, उपहार ,भेंट ,सम्मान,पुरस्कार,स्मृति चिन्ह मानदेय आदि पाप्त कर सकता है और दे सकता है ।
6. ट्रस्ट धन को कही भी विनियोजित कर सकता है सुरक्षित कर सकता है ,किसी बैक संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना मे धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है ।
7. चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति ,माडा,कय,अनुज्ञप्ति ,बन्धक ,गिरवी , विभाजीत आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है ।

संजीव कुमार सिंह

क्रय करने का प्रयोजन ....
क्रेता का नाम व पूरा पता ....
वीरेन्द्र नाथ यादव
स्टा० वि० ला० नं० 268/9

कार्यालय उप निबन्धक सिकन्दरपुर ★

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये | भारत | Rs.20

रु.20 | सत्यमेव जयते | INDIA | TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (18) 29AA 648316

7. **विशेष**

यह ट्रस्ट एक्ट 1882 के अधीन प्रसस्ति होगी ।

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भीविद्यालय/महाविद्यालय/कार्यकम/ इकाई/कार्यालय/संस्था/संस्थान उपकम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/ उपनियम बनाये जा सकता हैपरन्तु यदि इस डीड आफ **ज्ञान दर्शन एकेडमी** के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्रावधान का अतिकमण की सीमा तक शून्य होगें

(ख) ट्रस्ट द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा

(ग) इस ट्रस्ट के पास वर्तमान समय में 10,000 रूपये के अतिरिक्त अन्य कोई चल/अचल सम्पत्ति नहीं है ।

(घ) अध्यक्ष/प्रबन्धक /ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्ही प्राविधानों को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए अन्यथा निर्णय हो सकते है।इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी । इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी कार्यवाही को कहीं भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। **ज्ञान दर्शन एकेडमी** विलेख एवं उनमें सन्निहित समावेश **ज्ञान दर्शन एकेडमी**के एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियम अनुमोदित घोषित **ज्ञान दर्शन एकेडमी** स्वीकृत आत्म समर्पित

संजीव कुमार सिंह

विक्रय का तारीख १९८०
क्रय करने का प्रयोजन .... धनराशि
क्रेता का नाम व पूरा पता ....
....
....
वीरेन्द्र नाथ [illegible]
स्टा० वि० ला० नं० 268/9[illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 648317

(19)

एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये ।

संजीव कुमार सिंह संजीव कुमार सिंह
मैंनेजिंग ट्रस्टी
ज्ञान दर्शन एकेडमी
मु0 मिल्की कस्वा सिकन्दरपुर तहसील–सिकन्दरपुर
जनपद–बलिया (उ0 प्र0) पिन कोड –277303
आधार कार्ड सं0–305894239121
मो0 नं0–9450776406

टाईपकर्ता–अनिकेत यादव Aniket yadav

तैयारकर्ता–दानिश उमर (लेखक) तहसील–सिकन्दरपुर जनपद–बलिया (उ0 प्र0)

साक्षीगण– हीरा लाल यादव

1. नाम–हीरालाल यादव
पुत्र लालबाबू यादव
पता–कैथवली पोस्ट–मासूमपुर
जिला–बलिया ।
आधार कार्ड सं0–857497178352
मो0 नं0–8948650845

साक्षीगण– संतोष कुमार वर्मा

1. नाम–संतोष कुमार वर्मा
पुत्र शुभनरायन वर्मा
पता–ग्राम व पोस्ट–मासूमपुर
जिला–बलिया
आधार कार्ड सं0–602020475106
मो0 नं0–6393464939

क्रय करने का प्रयोजन .... धनराशि
क्रेता का नाम व पूरा पता

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 15 के पृष्ठ 259 से 296 तक क्रमांक 24 पर दिनाँक 27/06/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अवनीश राय
उप निबंधक : सिकंदरपुर
बलिया